

न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी श्री सुरेन्द्र प्रसाद R.A.S.)

प्रकरण सं. 54/2018

जी.सी.एम.एस. नम्बर 2018/00079

किस्म दावा अन्तर्गत धारा 53,188 आर.टी.ए.

निर्णय दिनांक ...02/03/2022

1. खड्गसिंह पुत्र कारे जाति जाट निवासी मई तहसील नदबई (भरतपुर)

बनाम

वादी

1. प्यारे पुत्र कारे जाति जाट निवासी मई तहसील नदबई (भरतपुर)
2. फूलसिंह पुत्र रेवती जाति जाट निवासी मई तहसील नदबई (भरतपुर)
3. नबलसिंह पुत्र रेवती जाति जाट निवासी मई तहसील नदबई (भरतपुर)
4. सियाराम पुत्र रेवती जाति जाट निवासी मई तहसील नदबई (भरतपुर)
5. छत्तर पुत्र रेवती जाति जाट निवासी मई तहसील नदबई (भरतपुर)
6. हुकम पुत्र रेवती जाति जाट निवासी मई तहसील नदबई (भरतपुर)
7. मूलाराम पुत्र हरिसिंह जाति जाट निवासी मई तहसील नदबई (भरतपुर)
8. सौमौती बेवा रामनारायण जाति जाट निवासी मई तहसील नदबई (भरतपुर)
9. पुष्कर पुत्र शिविया जाति जाट निवासी मई तहसील नदबई (भरतपुर)
10. छोटे पुत्र शिविया जाति जाट निवासी मई तहसील नदबई (भरतपुर)
11. रनधीर जाति जाट निवासी मई तहसील नदबई (भरतपुर)
12. नाहरसिंह पि. रामदयाल जाति जाट निवासी मई तहसील नदबई (भरतपुर)
13. ध्रुवसिंह पुत्र रामदयाल जाति जाट निवासी मई तहसील नदबई (भरतपुर)
14. अमरवती पत्नि मानसिंह जाति जाट निवासी मई तहसील नदबई (भरतपुर)
15. देवेन्द्र पुत्र मानसिंह जाति जाट निवासी मई तहसील नदबई (भरतपुर)
16. देशराज पुत्र मानसिंह जाति जाट निवासी मई तहसील नदबई (भरतपुर)
17. मिटठू पुत्र मंगल जाति जाट निवासी मई तहसील नदबई (भरतपुर)
18. ग्यासी पुत्र मंगल जाति जाट निवासी मई तहसील नदबई (भरतपुर)
19. विरजो पुत्र मंगल जाति जाट निवासी मई तहसील नदबई (भरतपुर)
20. लक्ष्मन पुत्र मंगल जाति जाट निवासी मई तहसील नदबई (भरतपुर)
21. बाबू पुत्र मंगल जाति जाट निवासी मई तहसील नदबई (भरतपुर)
22. कैला पुत्र फहारिया जाति जाट निवासी मई तहसील नदबई (भरतपुर)
23. रूकमणि पत्नि बहादुर जाति जाट निवासी मई तहसील नदबई (भरतपुर)
24. गनपत पुत्र रघुवीर जाति जाट निवासी मई तहसील नदबई (भरतपुर)



PTD

25. जल्लो पुत्र रघुवीर जाति जाट निवासी मई तहसील नदबई (भरतपुर)
26. देवीसहाय पुत्र रघुवीर जाति जाट निवासी मई तहसील नदबई (भरतपुर)
27. जीतमल पुत्र रघुवीर जाति जाट निवासी मई तहसील नदबई (भरतपुर)
28. भूरी पत्नि घनश्याम जाति जाट निवासी मई तहसील नदबई (भरतपुर)
29. मिश्री पुत्र हरीराम जाति जाट निवासी मई तहसील नदबई (भरतपुर)
30. रामवीर पुत्र हरीराम जाति जाट निवासी मई तहसील नदबई (भरतपुर)
31. राजवीर पुत्र बाबूलाल जाति जाट निवासी मई तहसील नदबई (भरतपुर)
32. हकमसिंह पुत्र घसीड़ा जाति जाट निवासी मई तहसील नदबई (भरतपुर)
33. अमरसिंह पुत्र घसीड़ा जाति जाट निवासी मई तहसील नदबई (भरतपुर)
34. पीतम पुत्र घसीड़ा जाति जाट निवासी मई तहसील नदबई (भरतपुर)
35. निरंजन पुत्र घसीड़ा जाति जाट निवासी मई तहसील नदबई (भरतपुर)
36. प्रेम पत्नि रमेशचंद जाति कोली निवासी मई तहसील नदबई (भरतपुर)
37. मोहनसिंह पत्नि बदनसिंह जाति कोली निवासी मई तहसील नदबई (भरतपुर)
38. रामपाल पुत्र तेजसिंह जाति कोली निवासी मई तहसील नदबई (भरतपुर)
39. त्रिवेणी बेवा कुवरपाल जाति कोली निवासी मई तहसील नदबई (भरतपुर)
40. रामवीर पुत्र कुमारपाल जाति जाट निवासी मई तहसील नदबई (भरतपुर)
41. श्यामवीर पुत्र कुमारपाल जाति जाट निवासी मई तहसील नदबई (भरतपुर)
42. मीना बेबा प्रेमसिंह जाति जाट निवासी मई तहसील नदबई (भरतपुर)
43. लवकुमार पुत्र प्रेमसिंह जाति जाट निवासी मई तहसील नदबई (भरतपुर)
44. नंदनी नाबालिग बलीसरपरस्त माता खुद मीना पत्नि प्रेमसिंह जाति जाट निवासी मई तहसील नदबई (भरतपुर)
45. भरती नाबालिग बलीसरपरस्त माता खुद मीना पत्नि प्रेमसिंह जाति जाट निवासी मई तहसील नदबई (भरतपुर)
46. विवेक नाबालिग बलीसरपरस्त माता खुद मीना पत्नि प्रेमसिंह जाति जाट निवासी मई तहसील नदबई (भरतपुर)
47. तुहीराम पुत्र कोकीराम जाति जाट निवासी मई तहसील नदबई (भरतपुर)
48. दीवानसिंह पुत्र कोकीराम जाति जाट निवासी मई तहसील नदबई (भरतपुर)
49. शिवदयाल पुत्र सुजानसिंह जाति जाट निवासी मई तहसील नदबई (भरतपुर)
50. अतरसिंह पुत्र मिरचू जाति जाट निवासी मई तहसील नदबई (भरतपुर)
51. पूरन पुत्र कमल जाति जाट निवासी मई तहसील नदबई (भरतपुर)
52. कन्नेरी पत्नि मुख्त्यारसिंह जाति जाट निवासी मई तहसील नदबई (भरतपुर)
53. राज० सरकार जरिये तहसीलदार नदबई
54. श्रीमान सबरजिस्ट्रार महोदय नदबई।
55. पी.एन.बी. लखनपुर जरिये शाखा प्रबंधन
56. पी.एल.डी.बी. नदबई जरिये शाखा प्रबंधन
57. रवि कुमार पुत्र बाबूलाल जाति जाट निवासी मई तहसील नदबई (भरतपुर)

58. धमेन्द्र पुत्र बाबूलाल जाति जाट निवासी मई तहसील नदबई (भरतपुर)

59. भरतसिंह पुत्र मुख्यार जाति जाट निवासी मई तहसील नदबई (भरतपुर)

प्रतिवादीगण

उपस्थित श्री रामकिशन पूनिया एड0 (वादी की ओर से)

श्री जितेन्द्र कुमार एड0 (प्रति की ओर से)

श्री जितेन्द्र कुमार एड0 (प्रति स. 17 से 21 की ओर से)

निर्णय

दावा अन्तर्गत धारा 53,188 आर.टी.ए.

वादी द्वारा दावा अन्तर्गत धारा 53,188 आर.टी.ए. के तहत पेश किया गया। जिस का सक्षिप्त इस प्रकार है।

- यह है कि विवादित आराजी ख0न0 1112 रकवा 0.22 रकवा एवं 1041 रकवा 0.37, 1042 रकवा 0.38, 1200 रकवा 0.11, 1201 रकवा 0.12, 1051 रकवा 0.20, 1060 रकवा 0.28, 1061 रकवा 0.28, 1070 रकवा 0.28, 1150 रकवा 0.20, 1206 रकवा 0.10, 1207 रकवा 0.09, 1260 रकवा 0.17, 1607 रकवा 0.38, रकवा1655 रकवा 0.19, 1855 रकवा 0.10, 1043 रकवा 0.30, 1044 रकवा 0.29, 1071 रकवा 0.17, 1106 रकवा 0.17, 1261 रकवा 0.23, 1624 रकवा 0.32, 1642 रकवा 0.15, 1657 रकवा 0.08, 1051/2552 रकवा 0.20, 1094 रकवा 0.13, 1095 रकवा 0.12, 1096 रकवा 0.12, 1097 रकवा 0.19, 1098 रकवा 0.58, 1148 रकवा 0.04, 1149 रकवा 0.27, 1850 रकवा 0.05, 1851 रकवा 0.05, 1859 रकवा 0.20, 1884 रकवा 0.06, 1886 रकवा 0.13, 1633 रकवा 0.07, 1634 रकवा 0.06, 1635 रकवा 0.07, 1636 रकवा 0.08, 1658 रकवा 0.01, 1659 रकवा 0.08, 1660 रकवा 0.10, 1107 रकवा 0.17, 1108 रकवा 0.15, 1109 रकवा 0.13, 1111 रकवा 0.18, 1143 रकवा 0.19, 1144 रकवा 0.20, 1147 रकवा 0.10, 1154 रकवा 0.15, 1164 रकवा 0.09, 1165 रकवा 0.21, 1168 रकवा 0.18, 1177 रकवा 0.17, 1179 रकवा 0.06, 1190 रकवा 0.06, 1194 रकवा 0.05, 1215 रकवा 0.07, 1216 रकवा 0.07, 1219 रकवा 0.06, 1220 रकवा 0.06, 1221 रकवा 0.05, 1222 रकवा 0.18, 1223 रकवा 0.05, 1245 रकवा 0.08, 1246 रकवा 0.09, 1247 रकवा 0.06, 1248 रकवा 0.08, 1249 रकवा 0.15, 1533 रकवा 0.06, 1534 रकवा 0.09, 1535 रकवा 0.05, 1536 रकवा 0.08, 1632 रकवा 0.06, 1637 रकवा 0.10, 1849 रकवा 0.05, 1110 रकवा 0.20, 1114 रकवा 0.16, 1116 रकवा 0.21, 1121 रकवा 0.28, 1132 रकवा 0.11, 1142 रकवा 0.13, 1145 रकवा 0.10, 1146 रकवा 0.15, 1180 रकवा 0.28, 1244 रकवा 0.24, 1250 रकवा 0.15, 1251 रकवा 0.14,

सहायक कलेक्टर
नदबई जिला भरतपुर

1252 रकवा 0.15, 1253 रकवा 0.10, 1848 रकवा 0.05, 1648 रकवा 0.09,
 1649 रकवा 0.09, 1650 रकवा 0.16, 1623 रकवा 0.27, 1646 रकवा 0.22,
 1115 रकवा 0.09, 1122 रकवा 0.20, 1129 रकवा 0.20, 1131 रकवा 0.10,
 1141 रकवा 0.08, 1155 रकवा 0.14, 1166 रकवा 0.05, 1188 रकवा 0.06,
 1189 रकवा 0.04, 1214 रकवा 0.15, 1217 रकवा 0.05, 1218 रकवा 0.06,
 1224 रकवा 0.04, 1254 रकवा 0.12, 1255 रकवा 0.12, 1270 रकवा 0.17,
 1480 रकवा 0.12, 1500 रकवा 0.03, 1631 रकवा 0.07, 1713 रकवा 0.08,
 1273 रकवा 0.56, 1280 रकवा 0.43, 1601 रकवा 0.15, 1602 रकवा 0.15,
 1603 रकवा 0.41, 1606 रकवा 0.19, 1271 रकवा 0.30, 1272 रकवा 0.36,
 1274 रकवा 0.11, 1275 रकवा 0.11, 1276 रकवा 0.17, 1277 रकवा 0.14,
 1278 रकवा 0.16, 1279 रकवा 0.44, 1618 रकवा 0.21, 1620 रकवा 0.21,
 1622 रकवा 0.16, 1604 रकवा 0.42, 1605 रकवा 0.21, 1178 रकवा 0.15,
 1181 रकवा 0.08, 1147 रकवा 0.07, 1858 रकवा 0.05, 1879 रकवा 0.05,
 1617 रकवा 0.38, 1619 रकवा 0.15, 1621 रकवा 0.01 वाके ग्राम मई तहसील
 नदबई पर स्थित है।

2. यह है कि वादी व प्रतिवादीगण कि सम्मिलित खातेदारी काश्तकारी की आराजी जिस पर मनवट अनुसार काबिज काश्त है। तथा आराजी ख0न0 1106 जो रूकमणि पत्नि बहादुर से विज्यो मिटठू से क्रय किया है कब्जे में है। तथा आराजी ख0न0 1043 जो जीतमल से मोल लिया है जो खरड़सिंह वादी के कब्जे में है जिसमें पुक्ता निर्माण हो रहा है। लेकिन प्रतिवादीगण के मन में बदयान्ति आ गई जो विवादित आराजी मे से अच्छी मे से अच्छी आराजी पर कब्जा करना चाहता है तथा वादी को आराजी से बेदखल करना चाहता है। ऐसी स्थिति मे वादी विवादित आराजी वादी एव प्रतिवादी के मध्य रिकॉर्ड में अंकन अनुसार हिस्सेनुसार अच्छी मे से अच्छी व बुरी से बुरी आराजी के कुरेजात कायम करा पाने के अधिकारी है। तथा उसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करा पाने के अधिकारी है।
3. यह है कि प्रतिवादी द्वारा दिनांक 07.05.2018 को वादी को मुकाम मई पर धमकी दी गई कि विवादित आराजी को रहनबय मुत्तकिल कर देगें तथा बेदखल कर देगें जबकि प्रतिवादीगण को ऐसा करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। अत वादी प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्दकरा पाने का अधिकारी है।
4. यह है कि प्रतिवादी स. 53 को लैण्ड होल्डर होने से व प्रतिवादी स. 54 को बयनाम करने की शक्तियां निहित होने से आवश्यक पक्षकार मुकदमा बनाया गया है।
5. अन्त में प्रार्थना कि विवादित आराजी वादी व प्रतिवादी के मध्य उनके रिकॉर्ड में अंकन अनुसार हिस्सेनुसार अच्छी मे से अच्छी व बुरी से बुरी आराजी को

कुरेजात कायम करा पाने के अधिकारी है। तथा उसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावें। तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

6. दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलव किये गये। प्रतिवादी स. 1 लगायत 11 एवं 13 से 15, 22,23, 25 से 29, 32 से 40, 48, 50,52 की और से श्री जितेन्द्र कुमार एण्डवोकेट उपस्थित हुऐ। तथा प्रतिवादी स. 17 से 21 की और से श्री जगदीशचन्द्र एण्डवोकेट उपस्थित हुऐ। शेष प्रतिवादी जरिये सम्मन तलव होने के उपरान्त भी न्यायालय हाजा उपथित नही हुऐ इनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही अमल लाई गयी। प्रतिवादी स. 1 लगायत 11 एवं 13 से 15, 22,23, 25 से 29, 32 से 40, 48, 50, 52, 17 से 21 की और से जबाब दावा पेश नही किया गया तथा इनका जबाब दावा दिनांक 07.01.2021 को बन्द किया गया।
7. वादी द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबन्दी संवत 2069- 2072 वाके ग्राम मई तहसील नदबई पेश कि गई।
8. वादी द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में मौखिक ब्यान के रूप में शपथ पत्र वादी खण्डगसिंह पुत्र प्यारे जाति जाट निवासी मई हसील नदबई पेश किये गये। इनसे जिरह प्रतिवादी द्वारा नही कि गई।
9. प्रतिवादीगण द्वारा अपने समर्थन में मौखिक ब्यान एवं दस्तावेजी साक्ष्य पेश नही किये गये।
10. उभयपक्षकरान के विद्वान वकीलो बहस दावा प्राम्भिक डिक्री किये जाने हेतु दिनांक 10.02.2021 को सुनी गई। तथा हमने पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन करने पर वादी का वाद पत्र प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 10.02.21 को किया जाकर वादपत्र में दर्ज विवादित आराजी वाके ग्राम मई तहसील नदबई पर वादी व प्रतिवादी के मध्य उनके रिकॉर्ड में अंकन अनुसार हिस्सेनुसार अच्छी मे से अच्छी व बुरी से बुरी आराजी के कुरेजात कायम किये जाने हेतु तहसीलदार नदबई को मौका कमिश्नर नियुक्त किया गया। तथा आराजी के राज0 काश्तकारी अधि0 1955 के नियम 18 से 21 की पालना करते हुऐ विभाजन प्रस्ताव हेतु तहसीलदार नदबई को लिया गया।
11. विवादित आराजी के विभाजन प्रस्ताव दिनांक 08.10.21 के नायब तहसीलदार लखनपुर नदबई द्वारा बनाये गये को तहसीलदान नदबई द्वारा अपने पत्रांक क्रमांक एल.आर./21/3137 दिनांक 24.11.21 को भिजवाये गये जो शामिल पत्रावली किये गये। पावली वास्ते बहस विभाजन प्रस्ताव हेतु नियम कि गई।
12. उभयपक्षकरान के विद्वान वकीलो बहस अन्तिम विभाजन प्रस्ताव दिनांक 08.10. 21 के नायब तहसीलदार लखनपुर नदबई द्वारा बनाये गये को तहसीलदार नदबई द्वारा अपने पत्रांक क्रमांक एल.आर./21/3137 दिनांक 24.11.21 को

तहायक कलेक्टर
नदबई जिला भरतपुर

भिजवाये गये पर सुनी गई। तथा वादी एवं प्रतिवादी के विद्वान वकीलो द्वारा अपनी बहस में तर्क दिया कि विभाजन प्रस्ताव दिनांक 08.10.21 के नायब तहसीलदार लखनपुर नदबई द्वारा तैयार किये गये है जिसमें वादी को किसी प्रकार का कोई उज्र नहीं है तथा विभाजन प्रस्ताव के अनुसार डिक्री किये जाने का अनुरोध किया गया। तथा प्रतिवादीगण द्वारा किसी प्रकार की कोई आपत्ति जाहिर नहीं कि गई।

13. हमने उभयपक्षकरान के विद्वान वकीलो को सुना गया पत्रावली पर उपलब्ध विभाजन प्रस्ताव दिनांक 08.10.21 को अवलोकन किया गया तो पाया कि वाद पत्र में दर्ज व रिकॉर्ड में दर्ज अनुसार वादी एवं प्रतिवादी के मध्य उनके हिस्से अनुसार विभाजन प्रस्ताव मौके पर जाकर तैयार किये गये है। तथा पक्षरान को तलव कर उनकी उपस्थिति में किये गये है। विभाजन प्रस्ताव पर पक्षकरान के हस्ताक्षर भी है। एव राज0 काश्तकारी अधि0 1955 के नियम 18 से 21 की पालना करते हुये विभाजन प्रस्ताव बनाये गये है। एवं वादी एवं प्रतिवादी द्वारा उक्त विभाजन कुरा रिपोर्ट पर कोई आपत्ति भी जाहिर नहीं कि गई है। अत. वादी का वाद पत्र मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 08.10.21 के नायब तहसीलदार लखनपुर नदबई द्वारा बनाये गये को तहसीलदार नदबई द्वारा अपने पत्रांक क्रमांक एल.आर./21/3137 दिनांक 24.11.21 को भिजवाये के अनुसार डिक्री किया जाना उचित है।

—: आदेश :-

अत आदेश है कि वाद वादी विवादित आराजीयात वाके ग्राम मई तहसील नदबई के विभाजन प्रस्ताव दिनांक 08.10.21 के नायब तहसीलदार लखनपुर नदबई द्वारा बनाये गये को तहसीलदार नदबई द्वारा अपने पत्रांक क्रमांक एल.आर./21/3137 दिनांक 24.11.21 को भिजवाये के अनुसार डिक्री किया जाता है। रहन यथावत रहेगा। पर्चा डिक्री जारी हो

निर्णय आज दिनांक 02/3/2022 को खुले न्यायालय में लिखया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फेसलशुमार होकर दाखिल दफतर हो।



सुरेन्द्र प्रसाद

सहायक क्लर्क (R.A.S.)
कार्य नदबई (मरतपुर) राज.
नदबई (मरतपुर) राज.